रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2557] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937
No. 2557] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2015

का.आ. 3238(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य को त्रिपुरा सरकार द्वारा 18 सितंबर, 1987 को 389.54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर आने वाले भाग को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना सं. एफ.8(69)/एफओआर-डब्ल्यू एल-88/2623 तारीख 8 सितंबर, 1988 द्वारा घोषित किया गया था ।

और गुमती वन्यजीव अभयारण्य की पुष्प–वनस्पति विविधता एकमात्र है और पुष्प वनस्पति वितानी में उचित वितरण, औषधियों की बृहत विविधता, झाडियाँ, आरोहक और अभयारण्य में औषधियाँ मूल्य की वृक्ष जातियाँ पाई जाती है । अभयारण्य में मुख्य जातियाँ, संयोजन में घटित, आर्द पर्णपाती के अंतर्गत पाई जाती है और समर्थक के अनुरूप अर्ध सदाहरित वन और अल्प वर्गीकरण ।

और गुमती वन्यजीव अभयारण्य का बृहत खुला क्षेत्र जो बहुत बडीं विस्तार की घासो से आवृत है उसमें जातियाँ है। इम्पेराटाकीलोनड्रीका, पासपलमोरबिकुलरे, सेनटोनडेकटलियायोन, शरसोपागोनाकीकुलाटा, बोथरियोकालेनटरमीडिया, फीमब्रीसटाइलिस जातियाँ और अभयारण्य की एकमात्र संयोजन जातियाँ भी है। मुख्यत: प्रकृतिकस्थ वन भी है। -टेकटोनाग्रेनडीस, अनोगेइसुसाकमीनाटा, अलबीजियाप्रोकेश, सकीमावालीची, गलोकीडीआनलानकियोलरियम, फीकुरसराकेमोसा, कुछ झाडी की जातियाँ भी प्रमुख है जैसे सलेरोडेनड्रमवीसकासम, ऐंटीडसमाकीडम, क्लोसेनाहीपटा- फइला, साइकोट्रीअडेनोफइला, ड्राकेनानगस्टफोलिया,

और, अकासीया ऑरीकुलीफॉरमीसग्रीसेब, अकासीया केसिया वॉल, अलबीजियाप्रोकेरा (.आ, एक्स.बी) बी.ई.एन.टी.एच., ऐन्टीडेसमाकमी नाटम-वॉल, बीसकोफियाजा, वीनीका बी.एल, फीकुसरासेमोसल, ग्रार्डनिया रेसीनीफेराशोध वृक्ष जातियाँ और औषधीय पौधे है और अबरुसप्रीकाटोरियस एल.आई.एन.एन, एक्यरेंथेसापेरा एल.आई.एन.एन, अधाटोडाजीयलेनीका मेडिक, अलोफइलसकोबे एल.आई.एन.एन,राइसेल, काइक्सगीगनटीया काइनीग एक्स आर. ओ.एक्स.बी, दिललेनीयाडंडिका एल.आई.एन.एन, और अबरुसप्रीकाटोरियस एल.आई.एन.एन, एक्यरेथेसापेरा एल.आई.एन.एन, अधाटोडाजीयलेनीका मेडिक, अलबिजियासापेरा बी.ई.एन.टी.एच, अलीयम अम्पेलोपरासम (एच.ओ.ओ.के) (एल.आई.एन.एन,) अलोकइलसकोबे (एल.आई.एन.एन), राइसेल, लासीयसपीनोसा टी.एच.डब्ल्यू, रिकीनसकाम्मुनीस (एल.आई.एन.एन), वेडलैडियाटीनकटोरिया (आर.ओ.एक्स.बी) डी सी और जीजयफुनीकुलोसा एम.आई.एल.एल औषधीय पौधे है।

और, अभयारण्य की विषम भू-द्रृश्य काल्पनिक पर्यावरण संबधी स्थिति के लिए उपजाऊ जैव – विविधता की उपस्थिति का संभरण करती है और मुख्य प्राणिजात – एशियाई हाथी, काकड़ हिरण, जंगली सुअर, जुगली बिल्ली, भारतीय साही, मालापत विशाल गिलहरी में सें अलग, हुलांक उतक, लजीला वानर केपड लंगुर और पहयेरे पर्ण वानर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 (अनुसूची I/II) के अधिन जातियाँ संकट में है।

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसके विस्तार और सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर पारिस्थितकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा राज्य में गुमती अभ्यारण्य की सीमा से शून्य से 1200 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से शून्य मीटर से १२०० मीटर तक भिन्न-भिन्न है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार वन्यजीव अभ्यारण्य के पूर्वी और पूर्व दक्षिण से शून्य किलोमीटर है जो बांग्लादेश अन्तरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 14558.04 एकड़ है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का विवरण **उपाबंध – I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ-साथ उल्लेख **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है |

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक इसके अक्षांशों और देशान्तरों के साथ **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है |

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले गाँव उल्टाचेरी, लक्ष्मीपुर गंधाचेरा, सारमा, पंचारत्न, पूर्व पोटाचेरा, जे.बी. पारा, रामनगर, तुइचकमा, ठाकुरचारा, कालाझारी, रत्ननगर, ढालाझारी, भागीरथी, डालापती, बोअलखाली, पश्चिम पोटाचेरा, कल्याणसिंह, राइमा, मुकचारी, चाकपुर, मूंगिकामी है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |

(4) आंचलिक महायोजना निम्न सभी संबंधित राज्य सरकार विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात् :--

पर्यावरण ;

(i) वन ;

(ii) नगर विकास ;

(iii) पर्यटन ;

(iv) नगरपालिक ;

(v) राजस्व ;

(vi) कृषि ;

(vii) त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
इनमें संघटित पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रतिफल के लिए

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक जन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 20, 28, 30 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(iii) वर्षा जल संचय, और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख सुविधाएँ हैं |

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय् प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई परिणामी कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, त्रिपुरा सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, त्रिपुरा सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ; परन्तु पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में ही नए होटलों और विश्राम स्थलों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी |

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(ई), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणियों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिध्द क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगो का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।

4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना आदि।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्रावं और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
10.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
11.	विद्युत केबलों, परेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
12.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा रेल क्षेत्र, नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
14.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
15.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	वायु (ध्वनि सहित) और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

19.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिस्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
20.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
21.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी)	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	सुरक्षा बलों के कैम्प।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया जाता है।
24.	प्लास्टिक थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	होटल और विश्राम स्थलों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्राम स्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी तथापि एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
26.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी : परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। (ख) परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन सन्निर्माण के विस्तार तक एक किलोमीटर परे सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों का विवरण आंचलिक महायोजना के अनुसार किया जाएगा। (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा।
27.	भूमि उपयोग पैटर्न का व्यापक परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए कनात, लकड़ी के घर आदि जैसे पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

अनुमत क्रियाकलाप		
29.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे ।
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे ।
34.	वानस्पतिक घेराबन्दी।	लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	वन उद्यान और अभयारण्य के वन-संरक्षक और उप-वन संरक्षक, त्रिपुरा सरकार	अध्यक्ष
(ख)	क्षेत्रीय वरिष्ठ शहरी योजनाकार	सदस्य
(ग)	त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	पर्यावरण (जिसके अन्तर्गत विरासत संरक्षण है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का त्रिपुरा सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ङ)	परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में त्रिपुरा सरकार द्वारा नामित द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ	सदस्य
(च)	संभागीय वन अधिकारी (पीए)	सदस्य-सचिव

6. निर्देश शर्तें -

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध 5** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/33/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

गुमती वन्यजीव अभयारण्य, त्रिपुरा की प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवदी जोन की सीमा और चौहदी

उत्तरी सीमा :-

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तरी भाग में अथामुरा रिजर्व वन और कुलाई रिजर्व वन फैला है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1200 मीटर रखा गया है। अथाहमुरा रिजर्व वन जुरीचारा के परे और पश्चिम दिशा में लक्ष्मीपुर मौजा है। कुलाई रिजर्व वन के पास अमबासा सिविल उप- मंडल के उलेमचारा मौजा की सीमा है।

उत्तरी पश्चिम सीमा :-

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के उत्तरी पश्चिम भाग में तेलियामुरा सिविल उप-मंडल का उत्तर गुकुलनगर, दक्षिण गुकुलनगर शामिल है जहाँ प्रस्तावित प्रस्तावित पारिस्थितिक जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1200 मीटर रखा गया है।और अमरपुर सिविल उपमंडल का पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन , जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिक जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 500 मीटर रखा गया है। तीन मौजा में से , दो मौजा अर्थात उत्तर गुकुलनगर, दक्षिण गुकुलनगर उपरी भाग में ब्रमहाचारा के साथ और निचले भाग में जमभुकचारा है। दक्षिण गुकुलनगर मौजा की सीमा दक्षिण गुकुलनगर के नीचे मौजाई पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन और इकजनचारा में लगभग 17.5 कि.मी तक फैली है।

दक्षिण सीमा :-

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की दक्षिण सीमा में बाग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमांकित है।

दक्षिण पश्चिम सीमा :

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के दक्षिण पश्चिम सीमा में अमरपुर सिविल उप- मंडल के अंतर्गत पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन शामिल है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिक जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 500 मीटर रखा गया है। इकजनचारा के दक्षिण पश्चिम भाग के नीचे से प्रारंभ होकर और दक्षिण बिंदु के नीचे दांए तरफ लगभग 45 कि.मी फैली है। दक्षिण बिदु के नीचे बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है। अमरपुर सिविल उप-मंडल के अतर्गत पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन की साथ पुरबा कालाझारी रिजर्व वन की सीमा भी है। (जो गुमती वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत भी है।)

उत्तर पूर्व सीमा :-

अमबासा सिविल उप- मंडल का उलेमचारा मौजा उत्तर पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर और गंडाचारा सिविल उप- मंडल के पश्चिम गंडाचारा मौजा तक फैला है। गुमती वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी पूर्वी सीमा में उलेमचारा, लालचारा, खामुपारा, सीधापारा शामिल है, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिक जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 500 मीटर रखा गया है।और जीनेरापारा, उल्टाचारा और पश्चिम गंडानार, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 30 मीटर रखा गया है। उलेमचारा और लालचारा मौजा के मध्य में अमनबासा – गंडाचारा सड़क आती है और

इसके बाद राधारामबारी, करमापारा से होकर गुजरती है और अंतत: अभयारण्य के बाहर से होकर गुजरती हुई उल्टाचारा मौजा से मिलती है।

दक्षिण पूर्वी सीमा :

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिण पूर्वीसीमा में गंडाचारा सिविल उप-मंडल के सरमा, बुलंगबासा, रानीपुकुर, कमलखाल, पश्चिम पोटाचारी मौजा शामिल है, प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 30 मीटर रखा गया है।और करबुक सिविल उप-मंडल का चाकपुरा मौजा, जहाँ प्रस्तावित पारिस्थितिक जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 500 मीटर रखा गया है। सरमा मौजा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन कीसीमा अमनबासा–गंडाचारा सड़क से होकर गुजरती है, बुलंगबासा मौजा में पारिस्थितिक जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1200 मीटर दूर तक है। रानीपुकर मौजा पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 750 मीटर दूर तक है पश्चिम राईमा मौजा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से2500 मीटर दूर तक फैली है। पारिस्थितिक जोन की सीमा पश्चिम पाटाचारी मौजा में बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा तक लगभग 3.7 कि.मी. दूर तक फैली है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा तक लगभग 4.25 कि.मी. दूर तक फैली है।

उपाबंध – II

गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य, त्रिपुरा के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Gumti Wildlife Sanctuary, Tripura together with its latitudes and longitude of extremes and extent.

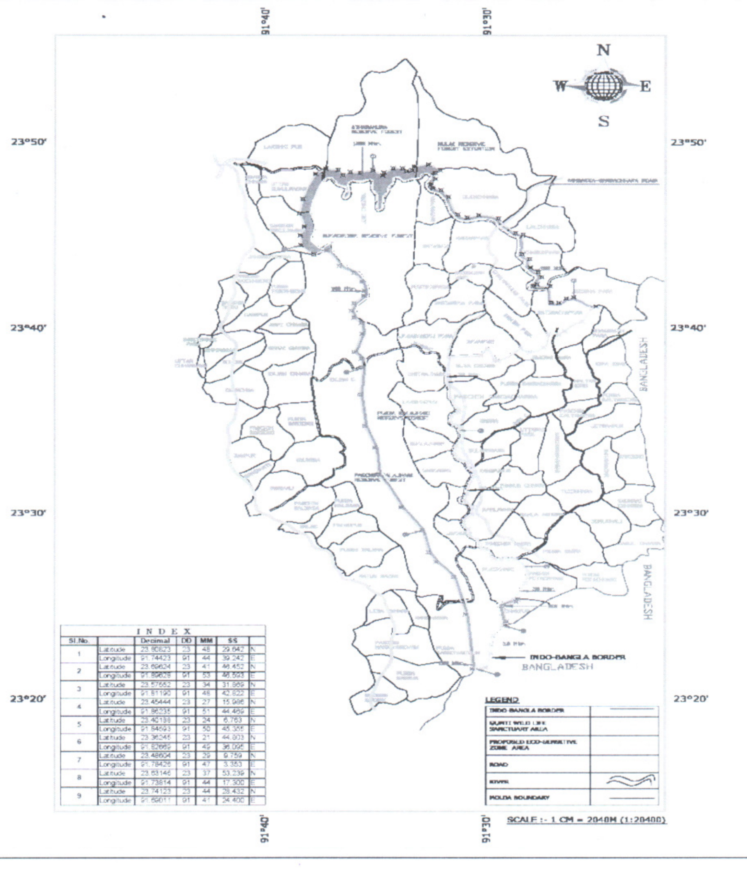

उपाबंध III

गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य, त्रिपुरा के पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहरी सीमा के प्रमुख बिन्दुओं को दर्शाने वाले निर्देशांक

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट ‘0’मीटर

क्र. सं.	अक्षांश	देशान्तर	टिप्पणी
1	23° 24' 06.00”	91° 50' 45.36”	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट ‘0’ मीटर बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय सीमा में सीमाकिंत है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा यहाँ ‘0’ रखी गयी है करबुक उप-मंडल के क्षेत्राधिकार में यह क्षेत्र ह्रास के अंतर्गत है।
2	23° 23’ 31.88”	91° 50' 20.17”	
3	23° 23’ 02.56”	91° 50' 14.39”	
4	23° 22’ 35.54”	91° 50' 12.96”	
5	23° 21’ 48.72”	91° 50' 00.59”	
6	23° 21’ 44.08”	91° 49' 48.84”	
7	23° 21’ 44.03”	91° 49' 36.10”	

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट ‘500’ मीटर

क्र. सं.	अक्षांश	देशान्तर	टिप्पणी
1	23° 25' 30.26"	91° 51' 24.11"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट ‘500’ मीटर मे करबुक उप-मंडल के चाकपुरा मौजा को सीमांकित कियाहै। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा यहाँ 500 रखी गयी है।
2	23° 25' 22.15"	91° 51' 19.94"	
3	23° 25' 06.96"	91° 50' 45.04"	
4	23° 24' 18.27"	91° 50' 55.08"	
5	23° 24' 05.69"	91° 50' 45.67"	

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट “30” मीटर

क्र. सं.	अक्षांश	देशान्तर	टिप्पणी
1.	23° 41' 09.68"	91° 54' 35.61"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग में आफसेट “30” मीटर में गंडाचारा उपमंडल की सीमा है । प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को गंडाचारा उप- मंडल की सीमा से 30 मीटर रखा गया है
2.	23° 40' 27.87"	91° 54' 09.65"	
3.	23° 39' 55.45"	91° 53' 23.18"	
4.	23° 39' 45.38"	91° 53' 08.34"	
5.	23° 39' 45.46"	91° 52' 39.93"	
6.	23° 39' 01.45"	91° 52' 26.75"	
7.	23° 38' 44.98"	91° 51' 49.05"	
8.	23° 39' 0.20"	91° 51' 25.25"	
9.	23° 38' 15.06"	91° 50' 28.07"	
10.	23° 38' 17.35"	91° 50' 15.95"	

11.	23° 38' 56.15"	91° 49' 56.90"	
12.	23° 38' 34.21"	91° 49' 39.53"	
13.	23° 38' 27.07"	91° 48' 11.35"	
14.	23° 36' 58.39"	91° 48' 08.98"	
15.	23° 36' 52.81"	91° 48' 15.29"	
16.	23° 36' 17.03"	91° 48' 16.36"	
17.	23° 36' 08.86"	91° 48' 26.55"	
18.	23° 35' 40.77"	91° 48' 40.14"	
19.	23° 35' 30.47"	91° 48' 38.50"	
20.	23° 35' 19.17"	91° 48' 21.01"	
21.	23° 34' 51.90"	91° 48' 27.99"	
22.	23° 34' 48.93"	91° 48' 39.66"	
23.	23° 34' 40.48"	91° 48' 44.00"	
24.	23° 38' 31.86"	91° 48' 42.82"	
25.	23° 34' 14.35"	91° 48' 54.12"	
26.	23° 33' 42.04"	91° 48' 34.36"	
27.	23° 33' 18.31"	91° 48' 31.06"	
28.	23° 33' 01.04"	91° 48' 40.75"	
29.	23° 32' 53.33"	91° 49' 02.42"	
30.	23° 32' 31.55"	91° 49' 09.44"	
31.	23° 32' 18.09"	91° 49' 24.33"	
32.	23° 32' 04.89"	91° 49' 25.25"	
33.	23° 31' 07.95"	91° 49' 05.54"	
34.	23° 30' 45.47"	91° 48' 57.23"	
35.	23° 30' 40.11"	91° 49' 02.19"	
36.	23° 30' 26.84"	91° 49' 20.64"	
37.	23° 30' 02.88"	91° 49' 20.30"	
38.	23° 29' 43.47"	91° 48' 58.07"	
39.	23° 29' 27.24"	91° 48' 58.09"	
40	23° 29' 14.50"	91° 49' 08.80"	

41.	23° 28' 52.57"	91° 49' 14.86"	
42.	23° 28' 42.31"	91° 49' 34.89"	
43.	23° 28' 21.74"	91° 49' 40.98"	
44.	23° 28' 11.86"	91° 49' 50.17"	
45.	23° 28' 09.63"	91° 50' 03.20"	
46.	23° 27' 49.53"	91° 50' 12.03"	
47.	23° 27' 41.12"	91° 50' 19.83"	
48.	23° 27' 38.10"	91° 50' 39.90"	
49.	23° 27' 43.92"	91° 50' 51.14"	
50.	23° 27' 38.27"	91° 50' 56.24"	
51.	23° 27' 40.97"	91° 51' 15.48"	
52.	23° 27' 15.98"	91° 51' 44.46"	
53.	23° 26' 57.16"	91° 51' 50.90"	
54.	23° 26' 22.85"	91° 51' 44.30"	
55.	23° 25' 30.52"	91° 51' 14.20"	

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पश्चिम भाग में आफसेट "500" मीटर			
क्र. सं.	**अक्षांश**	देशान्तर	**टिप्पणी**
1.	23° 21' 44.73"	91° 49' 23.89"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण पश्चिम भाग में आफसेट" 500 "मीटर में अमरपुरा उपमंडल की प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अमरपुर उप- मंडल की सीमा से 500 मीटर रखा गया है । प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में पुरबा मनीक्या दीवान और पश्चिम कालाझारी रिजर्व वन मौजा में हासमान है ।
2.	23° 24' 39.88"	91° 49' 04.37"	
3.	23° 26' 40.63"	91° 48' 30.17"	
4.	23° 27' 28.15"	91° 47' 42.59"	
5.	23° 27' 59.10"	91° 47' 22.27"	
6.	23° 29' 09.75"	91° 47' 03.35"	
7.	23° 30' 23.42"	91° 46' 06.49"	
8.	23° 32' 09.19"	91° 45' 03.28"	
9.	23° 33' 34.98"	91° 44' 53.76"	
10.	23° 34' 44.05"	91° 44' 24.75"	
11.	23° 36' 24.55"	91° 44' 11.25"	
12.	23° 37' 53.23"	91° 44' 17.29"	

13.	23° 38' 21.15"	91° 44' 13.20"	
14.	23° 38' 42.23"	91° 43' 54.44"	
15.	23° 39' 42.83"	91° 44' 14.87"	
16.	23° 40' 18.05"	91° 44' 12.84"	
17.	23° 40' 34.62"	91° 43' 51.85"	
18.	23° 40' 57.00"	91° 43' 44.01"	
19.	23° 41' 21.80"	91° 43' 51.62"	
20.	23° 41' 46.76"	91° 44' 18.08"	
21.	23° 42' 02.56"	91° 44' 19.90"	
22.	23° 42' 32.04"	91° 44' 12.71"	
23.	23° 43' 00.03"	91° 43' 49.87"	
24.	23° 43' 22.04"	91° 43' 09.81"	
25.	23° 44' 11.57"	91° 42' 34.96"	
गुमती वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी पूर्वी भाग में आफसेट “500” मीटर			
क्र. सं.	**अक्षांश**	**देशान्तर**	**टिप्पणी**
1.	23° 48' 23.09"	91° 47' 28.07"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी पूर्वी भाग में आफसेट “500” मीटर में अमबासा उप- मंडल की सीमा है । प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अमबासा उप-मंडल की सीमा से 500 मीटर रखा गया है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उलेमचारा, लालचारा, खामपारा और रिजर्व वन मौजा में ह्रासमान है।
2	23° 48' 03.43"	91° 47' 29.79"	
3	23° 47' 46.96"	91° 47' 17.95"	
4	23° 47' 34.80"	91° 47' 22.78"	
5	23° 47' 27.91"	91° 47' 45.15"	
6	23° 47' 07.15"	91° 48' 05.64"	
7	23° 46' 10.39"	91° 48' 31.11"	
8	23° 46' 01.51"	91° 48' 56.68"	
9	23° 46' 09.52"	91° 49' 27.60"	
10	23° 45' 59.07"	91° 50' 21.09"	
11	23° 45' 12.27"	91° 51' 07.18"	
12	23° 45' 08.10"	91° 51' 28.25"	
13	23° 44' 04.49"	91° 51' 25.45"	
14	23° 43' 48.71"	91° 51' 46.08"	
15	23° 43' 21.76"	91° 51' 48.67"	

16	23° 43' 06.60"	91° 52' 09.00"	
17	23° 42' 51.21"	91° 52' 19.75"	
18	23° 42' 27.67"	91° 52' 06.88"	
19	23° 42' 21.73"	91° 51' 57.84"	
20	23° 42' 21.91"	91° 52' 42.87"	
21	23° 41' 28.18"	91° 52' 46.80"	
22	23° 41' 27.36"	91° 53' 06.88"	
23	23° 41' 42.05"	91° 53' 26.46"	
24	23° 41' 46.45"	91° 53' 46.59"	
25	23° 41' 16.47"	91° 53' 47.13"	

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिम भाग में आफसेट "1200" मीटर

क्र. सं.	अक्षांश	देशान्तर	टिप्पणी
1	23° 43' 58.34"	91° 41' 59.48"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी पूर्वी भाग में आफसेट "1200" मीटर में तेलियामुरा उप-मंडल की सीमा है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1200 मीटर रखा गया है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अथारामुरा रिजर्व वन और कुलाई आर. एफ . एवम् मौजा में हासमान है।
2	23° 44' 28.43"	91° 41' 24.39"	
3	23° 44' 59.34"	91° 41' 22.89"	
4	23° 45' 27.73"	91° 41' 32.75"	
5	23° 44' 09.89"	91° 41' 18.80"	
6	23° 46' 56.09"	91° 41' 27.39"	
7	23° 48' 16.91"	91° 41' 01.95"	

गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिम भाग में आफसेट "1200" मीटर

क्र. सं.	अक्षांश	देशान्तर	टिप्पणी
1	23° 48' 34.20"	91° 42' 29.74"	गुमती वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिम भाग में आफसेट "1200" मीटर में तेलियामुरा उप-मंडल की सीमा है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को अभयारण्य की सीमा से 1200 मीटर रखा गया है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में दक्षिण गुकुलनगर मौजा में हासमान है।
2	23° 48' 30.31"	91° 43' 03.53"	
3	23° 48' 14.03"	91° 43' 17.39"	
4	23° 48' 23.93"	91° 43' 37.17"	
5	23° 48' 21.58"	91° 44' 04.48"	
6	23° 48' 29.63"	91° 44' 39.24"	
7	23° 48' 13.99"	91° 45' 06.25"	
8	23° 48' 22.82"	91° 45' 09.05"	
9	23° 48' 36.92"	91° 45' 34.82"	

10	23° 48' 36.81''	91° 46' 00.15''	
11	23° 48' 28.51''	91° 46' 10.93''	
12	23° 48' 31.42''	91° 46' 25.95''	
13	23° 48' 43.53''	91° 46' 31.42''	
14	23° 48' 50.78''	91° 47' 09.88''	
15	23° 48' 32.43''	91° 47' 41.87''	

Foot Note: Please refer Map

उपाबंध IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा-राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महयोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश।
6. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2015

S.O.3238(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forestand Climate Change, Indira ParyavaranBhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:-esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Gumti Wildlife Sanctuary was declared on 18th September, 1988 *vide* Notification No. F.8(69)/For-WL-88/2627 dated the 8th September, 1988 under sub-section (1) of section 18 of the Wildlife (Protection) Act. 1972 covering an area of 389.54 square kilometre by the Government of Tripura.

AND WHEREAS, the floral diversity of the Gumti Wildlife Sanctuary is unique and welled distributed in the tires of floral canopies, large varieties of the herbs, shrubs, climber and tree species found in the sanctuary have medicinal value. Major tree species, occurring in association, found in the sanctuary comprising of moist deciduous and semi evergreen forest as per champion and semi classification;

AND WHEREAS, a large open area of Gumti Wildlife Sanctuary has covered with a vast expanse of grasses which dominated by the species are, *Imperatacilindrica, Paspalumorbiculare, Cynodondactylon, Chrysopogonaciculata, Bothriocholaintermedia, Centothecalappacea, Oplismenuscompositus, Cyperusspecies,Fimbristylis species* and species composition of the sanctuary is unique, forests are mainly composed *Tectonagrandis, Anogeissusacuminata, Albiziaprocera, Schimawallichii, Glochidionlanceolarium, Ficusracemosa*, dominating shrub species like Clerodendrumviscosum, Antidesmaacidum, Clausenaheptaphylla, Psychotriaadenophylla, Dracenaangustifolia,

AND WHEREAS, tree species are *Acacia auriculiformis*Griseb, *Acacia caesia* Wall, *Albiziaprocera* (Roxb.)Benth.,*Antidesmaacuminatum*Wall.*Bischofiajavanica*Bl.*Ficusracemosa*L., *Gardenia resinifera*Roth and medicinal plants and *Abrusprecatorious* Linn, *Achyranthesaspera*Linn, *Adhatodazeylenica*Medic, *Allophylluscobbe* (Linn.) Raeschel, *Coixgigantia* Koenig ex Roxb, *Dilleniaindica* Linn.and medicinal plants are, *Abrusprecatorious* Linn.,*Achyranthesaspera* Linn., *Adhatodazeylenica* Medic., *Albizialebbeck* Benth., *Allium ampeloprasum* (Hook.) Linn.,*Allophylluscobbe* (Linn.) Raeschel, *Lasiaspinosa* Thw., *Ricinuscommunis* Linn., *Wendlandiatinctoria* (Roxb.) DC. and *Zizyphusfuniculosa* Mill.;

AND WHEREAS, heterogeneous landscapes of the sanctuary provide ideal environmental condition for the occurrence of rich biodiversity and main fauna are, Asian Elephant, Barking dear, Wild Pig, Jungle Cat, Indian Porcupine, Malayan Giant Squirrel out of these, Hoolock gibbons, Slow loris, Capped langur and Phayre's leaf monkey are threatened species under Wild Life Protection Act, 1972 (Schedule I / II).

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Gumti Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 1200 meters from the boundary of the Gumti Wildlife Sanctuary in the State of Tripura as the Gumti Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to asthe Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1)The extent of Eco-sensitive Zone is varies from zero metres to 1200 metres from the boundary of the Gumti Wildlife Sanctuary and the extent of Eco-sensitive Zone is zero kilometre from Eastern and East-South of the Wildlife Sanctuary, which shares Bangladesh International boundary and the area of Eco- sensitive Zone is 14558.04 acres.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(3) A map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure II**.

(4) The coordinates of Eco-sensitive Zone with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure III**.

(5) The villages falling within Eco-sensitive Zone are, Ultacherra, Laxmipur, Gandhacherra, Sarma, Pancharatan, East Potacherra, J.B. para, Ramnagar, Tuichakma, Thakurcharra, Kalajhari, Ratannagar, Dhalajhari, Bhagirath, Dalapati, Boalkhali, West Potacherra, Kalyansingh, Raima, Mukcharri, Chakpur, Mungiakami.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;

(vii) Agriculture; and

(viii) TripuraState Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 20, 28, 30 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting and

(iv) Cottage industries including village artisans, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Tripura in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Tripura.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the

Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Gumti Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under.- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority of the State Government and the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	**(2)**	**(3)**
	Prohibited Activities:	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Undertaking activities related to tourism like rope ways, over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated Activities:	
9.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
10.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
11.	Erection of electrical cables, water pipelines and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
12.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.

13.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads, rail tract.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
14.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
15.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
16.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
17.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
18.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
19.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
20.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
21.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
22.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
23.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100 percent imported wood stock.
24.	Use of plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
26.	Construction activities.	(a) No new construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b)The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre upto the extent of Eco - sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (d) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.

27.	Drastic change of land use pattern.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
	PermittedActivities:	
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
34.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** (1)The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) The Conservator of Forests / Deputy Conservator of Forests/ Park and Sanctuary, Government of Tripura–Chairman;

(b) Senior Town Planner of the area - Member;

(c) A representative of Tripura State Pollution Control Board-Member;

(d) A representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Tripura for a term of one year in each case – Member;

(e) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Tripura for a term of one year in each case - Member; and

(f) Divisional Forest Officer (PA) - Member Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Conservator of Forestsshall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per Proforma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/33/2015-ESZ -RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Limits and boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone of GumtiWildlife Sanctuary, Tripura.

Northern (N) boundary:

Northern side of proposed Eco- Zone of Gumti Wildlife Sanctuary consists of AtharamuraReserve Forest&KulaiReserve Forest Extention where proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept as 1200 meter from the boundary of the sanctuary. Atharamura Reserve Forest is just above the Juricharraand in the Western side Lakshmipur Mouja. Kulai Reserve Forest is bordering with Ulemcharra Mouja of Ambassa Civil Sub-Division.

North Western (NW)) boundary:

North Western side of proposed Eco-sensitive Zone of Gumti Wildlife Sanctuary consist Uttar Gukulnagar, DakshinGukulnagar of Teliamura Civil Sub-Division where proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept as 1200 meter from the boundary of the sanctuary andPaschimKalajhari Reserve Forest of Amarpur Civil Sub-Division where proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept as 500 meter from the boundary of the sanctuary. Out of three Mouja, two mouja namely Uttar Gukulnagarand Dakshin Gukulnagar is bordering with BramhaChhara in the upper side and Jambhukchhara in the lower side.TheMoujai.ePaschimKalajhari Reserve Forest is below the Dakshin Gukulnagarandextend up to EkjanCharra which is approximately 17.5 km from the boundary of the DakshinGukulnagar Mouja.

Southern (S) boundary:

Southern boundary of proposed Eco- Zone of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with International Border with Bangladesh. Adjoining Mouja is PaschimKalajhari Reserve Forest under Amarpur Civil Sub-Division.

South Western (SW) boundary:

South Western boundary of proposed Eco-sensitive Zone of Gumti Wildlife Sanctuary consist of PaschimKalajhari Reserve Forest under Amarpur Civil Sub-Division where proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept as 500 meter from the boundary of the sanctuary. South Western sides starts below the EkjanCharra and extend right below the South point extending approximately 45 km. Below the South point there an International Border with Bangladesh. Paschim Kalajhari Reserve Forest under Amarpur Civil Sub-Division is bordering with PurbaKalajhari Reserve Forest (which is within the GumtiWildlife Sanctuary).

North Eastern (NE) boundary:

North Eastern boundary starts from UlemchharaMouja of Ambassa Civil Sub-Division and Extend up to Paschim Gandacharra Mouja of Gandacharra Civil Sub-Division. North Eastern boundary of proposed Eco-sensitive Zone of Gumti Wildlife Sanctuary consist of Ulemchhara, Lalchhara, Khamupara, Siddhapara where proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept as 500 meter from the boundary of the sanctuary & Jineraipara, Ultacharraand Paschim Gandacharra where proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept as 30 meter from the boundary of the sanctuary. Ambassa – Gandachhara road enters in the middle of the Ulemchharaand Lalcharra Mouja and then passing through Karmapara, Radharambariand finally passing through outside the Sanctuary where it meets at UltacharraMouja.

South Eastern (SE) boundary:

South Eastern boundary of proposed Eco-sensitive Zone of Gumti Wildlife Sanctuary consist of Sarma, Bulangbasa, Ranipukur, Kamalkhal, Paschim Raima, Paschim Potachhari Mouja of Gandachhara Civil Sub-Division where Eco-sensitive Zone boundary is kept as 30 meter from the boundary of the sanctuary and ChackpurMouja of Karbook Civil Sub-Division where Eco-sensitive Zone boundary is kept as 500 meter from the boundary of the sanctuary. Ambassa – Gandachhara road passing through the Border of the Eco-sensitive Zone at Sarma Mouja, 1200 meter away from the boundary of Eco-sensitive Zone at Bulangbasa Mouja, touching the boundary of Eco-sensitive Zone at Ranipukur Mouja, 750 meter away from the boundary of Eco-sensitive Zone at Kamalkhal Mouja, 2500 meter

away from the boundary of Eco-sensitive Zone at Paschim Raima Mouja. In Paschim Potachhari Mouja the Eco-sensitive Zone boundary is approximately 3.7 Km. away from International Border with Bangladesh. In ChakpurMouja the Eco-sensitive Zone boundary is approximately 4.25 Km. away from International Border with Bangladesh.

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Gumti Wildlife Sanctuary, Tripura together with its latitudes and longitude of extremes and extent.

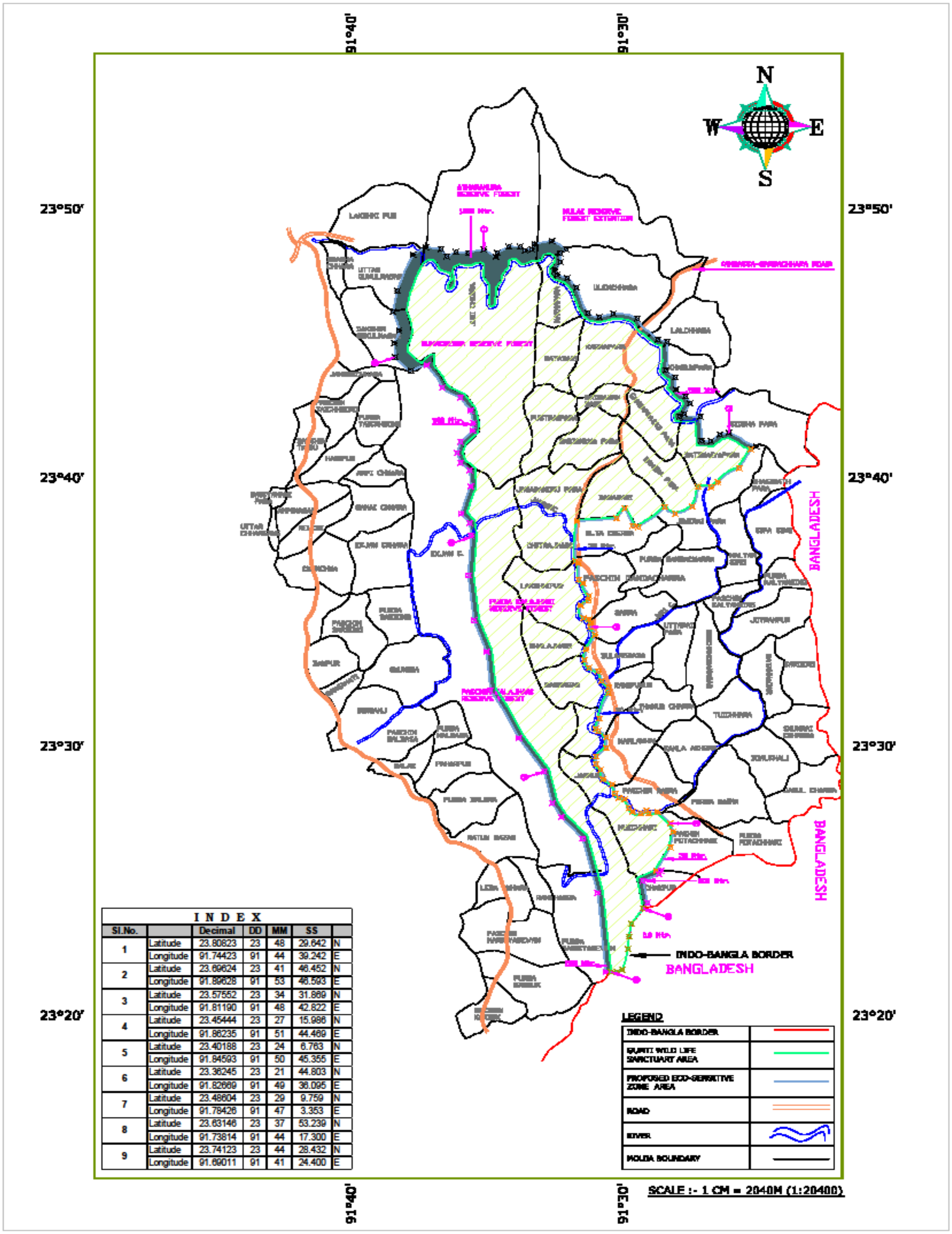

INDEX

Sl.No.		Decimal	DD	MM	SS	
1	Latitude	23.80823	23	48	29.642	N
	Longitude	91.74423	91	44	39.242	E
2	Latitude	23.69624	23	41	46.452	N
	Longitude	91.89628	91	53	46.593	E
3	Latitude	23.57552	23	34	31.869	N
	Longitude	91.81190	91	48	42.822	E
4	Latitude	23.45444	23	27	15.986	N
	Longitude	91.86235	91	51	44.469	E
5	Latitude	23.40188	23	24	6.763	N
	Longitude	91.84593	91	50	45.355	E
6	Latitude	23.36245	23	21	44.803	N
	Longitude	91.82669	91	49	36.095	E
7	Latitude	23.48604	23	29	9.759	N
	Longitude	91.78426	91	47	3.353	E
8	Latitude	23.63146	23	37	53.239	N
	Longitude	91.73814	91	44	17.300	E
9	Latitude	23.74123	23	44	28.432	N
	Longitude	91.69011	91	41	24.400	E

Annexure III

The Global Positioning Systemcoordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone of Gumti Wildlife Sanctuary, Tripura

Offset '0' meter at South East (SE) side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	***Latitude***	***Longitude***	***Remarks***
1	23°24' 06.00"	91° 50' 45.36"	Offset '0' meter at South East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with international border with Bangladesh. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as zero. This area falls within the jurisdiction of Karbook Sub-Division.
2	23°23' 31.88"	91° 50' 20.17"	
3	23°23' 02.56"	91° 50' 14.39"	
4	23°22' 35.54"	91° 50' 12.96"	
5	23°21' 48.72"	91° 50' 00.59"	
6	23°21' 44.08"	91° 49' 48.84"	
7	23°21' 44.03"	91° 49' 36.10"	
Offset '500' meter at South East (SE) side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	***Latitude***	***Longitude***	***Remarks***
1	23° 25' 30.26"	91° 51' 24.11"	Offset '500' meter at South East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with ChakpurMouja of Karbook Sub-Division. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 500 meter.
2	23° 25' 22.15"	91° 51' 19.94"	
3	23° 25' 06.96"	91° 50' 45.04"	
4	23° 24' 18.27"	91° 50' 55.08"	
5	23° 24' 05.69"	91° 50' 45.67"	
Offset '30' meter at South East (SE) side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	***Latitude***	***Longitude***	***Remarks***
1.	23° 41' 09.68"	91° 54' 35.61"	Offset '30' meter at South East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Gandachhara Sub-Division. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 30 meter from the boundary of Gandachhara Sub-Division.
2.	23° 40' 27.87"	91° 54' 09.65"	
3.	23° 39' 55.45"	91° 53' 23.18"	
4.	23° 39' 45.38"	91° 53' 08.34"	
5.	23° 39' 45.46"	91° 52' 39.93"	
6.	23° 39' 01.45"	91° 52' 26.75"	
7.	23° 38' 44.98"	91° 51' 49.05"	
8.	23° 39' 0.20"	91° 51' 25.25"	
9.	23° 38' 15.06"	91° 50' 28.07"	
10.	23° 38' 17.35"	91° 50' 15.95"	
11.	23° 38' 56.15"	91° 49' 56.90"	
12.	23° 38' 34.21"	91° 49' 39.53"	
13.	23° 38' 27.07"	91° 48' 11.35"	
14.	23° 36' 58.39"	91° 48' 08.98"	
15.	23° 36' 52.81"	91° 48' 15.29"	
16.	23° 36' 17.03"	91° 48' 16.36"	

17.	23º 36' 08.86"	91º 48' 26.55"	
18.	23º 35' 40.77"	91º 48' 40.14"	
19.	23º 35' 30.47"	91º 48' 38.50"	
20.	23º 35' 19.17"	91º 48' 21.01"	
21.	23º 34' 51.90"	91º 48' 27.99"	
22.	23º 34' 48.93"	91º 48' 39.66"	
23.	23º 34' 40.48"	91º 48' 44.00"	
24.	23º 38' 31.86"	91º 48' 42.82"	
25.	23º 34' 14.35"	91º 48' 54.12"	
26.	23º 33' 42.04"	91º 48' 34.36"	
27.	23º 33' 18.31"	91º 48' 31.06"	
28.	23º 33' 01.04"	91º 48' 40.75"	
29.	23º 32' 53.33"	91º 49' 02.42"	
30.	23º 32' 31.55"	91º 49' 09.44"	
31.	23º 32' 18.09"	91º 49' 24.33"	
32.	23º 32' 04.89"	91º 49' 25.25"	
33.	23º 31' 07.95"	91º 49' 05.54"	
34.	23º 30' 45.47"	91º 48' 57.23"	
35.	23º 30' 40.11"	91º 49' 02.19"	
36.	23º 30' 26.84"	91º 49' 20.64"	
37.	23º 30' 02.88"	91º 49' 20.30"	
38.	23º 29' 43.47"	91º 48' 58.07"	
39.	23º 29' 27.24"	91º 48' 58.09"	
40	23º 29' 14.50"	91º 49' 08.80"	
41.	23º 28' 52.57"	91º 49' 14.86"	
42.	23º 28' 42.31"	91º 49' 34.89"	
43.	23º 28' 21.74"	91º 49' 40.98"	
44.	23º 28' 11.86"	91º 49' 50.17"	
45.	23º 28' 09.63"	91º 50' 03.20"	
46.	23º 27' 49.53"	91º 50' 12.03"	
47.	23º 27' 41.12"	91º 50' 19.83"	
48.	23º 27' 38.10"	91º 50' 39.90"	
49.	23º 27' 43.92"	91º 50' 51.14"	
50.	23º 27' 38.27"	91º 50' 56.24"	
51.	23º 27' 40.97"	91º 51' 15.48"	
52.	23º 27' 15.98"	91º 51' 44.46"	
53.	23º 26' 57.16"	91º 51' 50.90"	
54.	23º 26' 22.85"	91º 51' 44.30"	
55.	23º 25' 30.52"	91º 51' 14.20"	

Offset '500' meter at South West (SW) side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	***Latitude***	***Longitude***	***Remarks***
1.	23° 21' 44.73"	91° 49' 23.89"	Offset '500' meter at South West side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Amarpur Sub-Division. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 500 meter from the boundary of Amarpur Sub-Division. The Moujas falling in the proposed proposed Eco-sensitive Zone are PurbaManikyaDewanandPaschim Kalajhari Reserve Forest.
2.	23° 24' 39.88"	91° 49' 04.37"	
3.	23° 26' 40.63"	91° 48' 30.17"	
4.	23° 27' 28.15"	91° 47' 42.59"	
5.	23° 27' 59.10"	91° 47' 22.27"	
6.	23° 29' 09.75"	91° 47' 03.35"	
7.	23° 30' 23.42"	91° 46' 06.49"	
8.	23° 32' 09.19"	91° 45' 03.28"	
9.	23° 33' 34.98"	91° 44' 53.76"	
10.	23° 34' 44.05"	91° 44' 24.75"	
11.	23° 36' 24.55"	91° 44' 11.25"	
12.	23° 37' 53.23"	91° 44' 17.29"	
13.	23° 38' 21.15"	91° 44' 13.20"	
14.	23° 38' 42.23"	91° 43' 54.44"	
15.	23° 39' 42.83"	91° 44' 14.87"	
16.	23° 40' 18.05"	91° 44' 12.84"	
17.	23° 40' 34.62"	91° 43' 51.85"	
18.	23° 40' 57.00"	91° 43' 44.01"	
19.	23° 41' 21.80"	91° 43' 51.62"	
20.	23° 41' 46.76"	91° 44' 18.08"	
21.	23° 42' 02.56"	91° 44' 19.90"	
22.	23° 42' 32.04"	91° 44' 12.71"	
23.	23° 43' 00.03"	91° 43' 49.87"	
24.	23° 43' 22.04"	91° 43' 09.81"	
25.	23° 44' 11.57"	91° 42' 34.96"	
Offset '500' meter at North East (NE) side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	***Latitude***	***Longitude***	***Remarks***
1.	23° 48' 23.09"	91° 47' 28.07"	Offset '500' meter at North East side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Ambassa Sub-Division. The proposed proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 500 meter from the boundary of Ambassa Sub-Division. The Mouja falling in the proposed Eco-sensitive Zone are Ulemchhara, Lalchhara, KhamuparaandReserve Forest
2	23° 48' 03.43"	91° 47' 29.79"	
3	23° 47' 46.96"	91° 47' 17.95"	
4	23° 47' 34.80"	91° 47' 22.78"	
5	23° 47' 27.91"	91° 47' 45.15"	
6	23° 47' 07.15"	91° 48' 05.64"	
7	23° 46' 10.39"	91° 48' 31.11"	
8	23° 46' 01.51"	91° 48' 56.68"	
9	23° 46' 09.52"	91° 49' 27.60"	
10	23° 45' 59.07"	91° 50' 21.09"	

11	23° 45' 12.27"	91° 51' 07.18"	
12	23° 45' 08.10"	91° 51' 28.25"	
13	23° 44' 04.49"	91° 51' 25.45"	
14	23° 43' 48.71"	91° 51' 46.08"	
15	23° 43' 21.76"	91° 51' 48.67"	
16	23° 43' 06.60"	91° 52' 09.00"	
17	23° 42' 51.21"	91° 52' 19.75"	
18	23° 42' 27.67"	91° 52' 06.88"	
19	23° 42' 21.73"	91° 51' 57.84"	
20	23° 42' 21.91"	91° 52' 42.87"	
21	23° 41' 28.18"	91° 52' 46.80"	
22	23° 41' 27.36"	91° 53' 06.88"	
23	23° 41' 42.05"	91° 53' 26.46"	
24	23° 41' 46.45"	91° 53' 46.59"	
25	23° 41' 16.47"	91° 53' 47.13"	
Offset '1200' meter at North West (NW) side of Gumti Wildlife Sanctuary			
Sl. No.	***Latitude***	***Longitude***	***Remarks***
1	23° 43' 58.34"	91° 41' 59.48"	Offset '1200' meter at North West side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Teliamura Sub-Division. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 1200 meter from the boundary of the Sanctuary. The Mouja falling in the proposed Eco-sensitive Zoneare Atharamura Reserve Forest and Kulai RF Extion.
2	23° 44' 28.43"	91° 41' 24.39"	
3	23° 44' 59.34"	91° 41' 22.89"	
4	23° 45' 27.73"	91° 41' 32.75"	
5	23° 44' 09.89"	91° 41' 18.80"	
6	23° 46' 56.09"	91° 41' 27.39"	
7	23° 48' 16.91"	91° 41' 01.95"	
Offset '1200' meter at West (W) side of Gumti Wildlife Sanctuary			
1	23° 48' 34.20"	91° 42' 29.74"	Offset '1200' meter at West side of Gumti Wildlife Sanctuary is bordering with Teliamura Sub-Division. The proposed Eco-sensitive Zone boundary is kept here as 1200 meter from the boundary of the Sanctuary. The Mouja falling in the proposed Eco-sensitive Zone are Dakshin Gokulnagar and Uttar Gokulnagar.
2	23° 48' 30.31"	91° 43' 03.53"	
3	23° 48' 14.03"	91° 43' 17.39"	
4	23° 48' 23.93"	91° 43' 37.17"	
5	23° 48' 21.58"	91° 44' 04.48"	
6	23° 48' 29.63"	91° 44' 39.24"	
7	23° 48' 13.99"	91° 45' 06.25"	
8	23° 48' 22.82"	91° 45' 09.05"	
9	23° 48' 36.92"	91° 45' 34.82"	
10	23° 48' 36.81"	91° 46' 00.15"	
11	23° 48' 28.51"	91° 46' 10.93"	
12	23° 48' 31.42"	91° 46' 25.95"	
13	23° 48' 43.53"	91° 46' 31.42"	
14	23° 48' 50.78"	91° 47' 09.88"	
15	23° 48' 32.43"	91° 47' 41.87"	

Foot Note: Please refer Map

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.